

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अंज अदालत सालास जेम्स मुकाम ठागोडा


वादीगण: नरवाणिरी उग्र पुत्रुगड कोटा वनाम एजाउगड पुत्र पुत्रुगड कोटा त्वाजी भालनी
 किसम मुकदमा सं. 88, 188 & 1A Act

सं. 12 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/5/18	<p>वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 210 का आधीनियम का लोक अदालत कैम्प भरसाणा में पेश किया गया जो दर्ज किया जाकर पक्षकारों को सुना गया जिसमें वादीगण ने बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम की आराजी गत ख० नं० 780 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा ख० नं० 783 रकबा 54 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी पूर्व खातेदार शंकरगड पुत्र करणागड जाते स्वामी स्वामी देह डोलीदार एवं मकमगड वल्द करणागड खुद फास्त ख० नं० बन्धोवस्त भालनी गाव के पुराने खाल स० 272 सवत 2011 से 2029 में दर्ज हुई। पूर्व खातेदार मकमगड पुत्र करणागड आवेवाहित कोट ही थुके है उसके बाद पक्षकारों के दादा शंकरगड पुत्र करणागड जाते घेने उक्त आराजी पुत्रुगड अणदगड पि० शंकरगड कोम स्वामी स्वामी देह खातेदार के रूप में पुरानी जमाबन्दी सवत 2034 से 2037 मीजा भालनी में दर्ज हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पिता के वंशज हैं। उक्त गत खसरा नं० के नवहावित ख० नं० 450 रकबा 0.01 हे० ख० नं० 458 रकबा 2.58 हे० ख० नं० 506 रकबा 4.40 हे० कुल रकबा 6.99 हे० मीजा भालनी स्थापित कर पुत्रुगड के बजाय पारसगड घरामगड जबरगड पि० पुत्रुगड कोम स्वामी के नाम खातेदारी द्वितीय मिसल बन्धोवस्त मीजा भालनी में दर्ज हुई। इसी प्रकार 505 रकबा 0.10 हे० किसम हाण की भूमि में प्रतिवादी स० 1 से 8 का नाम द्वितीय मिसल में दर्ज हुआ मकल उमाणीत प्रतिमा वाद के साथ खसरा पेश है।</p>	<p><u>एजाउगड</u> <u>जबरगड</u> <u>पारसगड</u> <u>उमोदे</u> <u>देव गिरी</u> <u>मुंजी देवी</u> <u>शम्भुदेवी</u> <u>सांवलगिरी</u> <u>बन्धोवस्त</u> <u>जेन्पेरी</u> <u>मवरगिरी</u> <u>पद्वामफता</u> <u>वादीगण पद्वामफता</u> <u>डोवधर</u> <u>पसेल</u></p>


सहायक कलेक्टर
 ठागोडा

द्वितीय खेतरमेरु अधीकारियों ने वादमूल
 अराजी में वादीगण का माम राजस्व रेकड
 में दर्ज नहीं किया हमने प्रतिवादीगण का
 एवाबदावा व राजीमामा पत्रावली रेकड पर
 लिया जाकर अवलोकन किया जिसमें वादीगण
 का वादपत्र सही होना स्वीकार कर निर्णय
 किया जाना उचित मानता हूँ सरहद मौजा
 भालनी खंम. 450 रकबा 0.01 हे० खंम.
 451 रकबा 2.58 हे० मौजा रुपा की हाणी के
 खंम. 506 रकबा 4.40 हे० किस्म चाही प्रथम
 भाव प्रथम कुल रकबा 6.99 हे० में प्रत्येक
 वादीगण का $\frac{1}{7}$ हिस्सा व प्रतिवादी ल० 1 से
 4 का प्रत्येक का $\frac{1}{7}$ हिस्सा खंम. 505 रकबा
 0.10 हे० किस्म गे० मु० हाणी में वादीगण व
 प्रतिवादी ल० 1 से 4 का $\frac{1}{2}$ हिस्से की
 खातेदारी एक की घोषणा व डिक्री पर्या
 राजीमामा प्रस्तुत दिनांक 17/5/2018 के
 अनुसार राजस्व रेकड में अमल दरामद हेतु
 पेश किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया
 एवं वादीगण व प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत
 राजीमामा होने परों की पहकल कुमाया
 गमा जैसे दोनों पत्रों द्वारा खुन समझक
 सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान
 गोश्वनराम अधीवक्ता व प्रतिवादीगणों की
 पहचान हिलपुटी गोश्वामी द्वारा दी गई। अतः
 राजीमामा पत्र मौजा भालनी के खंम.
 450 रकबा 0.01 खंम. 451 रकबा 2.58
 व मौजा रुपा की हाणी के खंम. 506
 रकबा 4.40 हे०, कुल रकबा 6.99 हे० में
 प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी ल० 1 से 4 का
 $\frac{1}{7}$ - $\frac{1}{7}$ हिस्सा एवं रुपा की हाणी खंम.
 505 रकबा 0.10 हे० किस्म गे० मु० हाणी
 में वादीगण व प्रतिवादी ल० 1 से 4 का
 $\frac{1}{2}$ हिस्सा एवं प्रतिवादी ल० 5 से 8 का $\frac{1}{2}$ हिस्सा


 सहायक कलेक्टर
 बागोडा

रहम मुक्त होने पर

राज्य रेकॉर्ड में राजीमामा अकुसाट अमल
दरामद हु तहसीलदार बागोडा को ओदेशित
किया जाता है वादमूलत आराजी वर्तमान में
रहम है अतः रहम मुक्त होने पर तहसीलदार
बागोडा निर्गम अकुसाट पालका करे
पत्रावली फैसल जुमार घेकट मखल लेकन है।


सहायक कलेक्टर
बागोडा